बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 201 ● नई दिल्ली ● बुधवार 27 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

मोदी सरकार के 12 साल हुए पूरे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन बोले- 2014 के बाद देश में आत्मविश्वास की वापसी हुई है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के मंगलवार को 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 26 मई 2014 को शुरू हुआ दौर केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि देश के आत्मविश्वास की वापसी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण है। नबीन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र तथा अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नीतियां कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में बदलाव का माध्यम बनें।

सरकार के खजाने की स्थिति ठीक नहीं? आरबीआई की ओर से लाभांश दिए जाने के बाद रमेश ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि सरकार की आर्थिक हालत उतनी मजबूत नहीं है, जितनी दिखाई जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि आरबीआई ने सरकार पर मेहरबानी करते हुए उसे बड़ा बोनस दिया है। आरबीआई ने शुक्रवार को मार्च 2026 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड डिविडेंड देने की घोषणा की थी। इससे पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण बढ़ते आयात बिल और आपूर्ति श्रृंखला में आई दिक्कतों के बीच सरकार को आर्थिक मदद मिलेगी।

यह डिविडेंड 2024-25 में दिए गए 2.69 लाख करोड़ रुपये से 6.7 फीसदी ज्यादा है। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका सबूत यह है कि आरबीआई ने सरकार को बड़ा बोनस दिया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने लगातार तीन साल तक अपनी आपातकालीन जोखिम सुरक्षा निधि (कंटिजेंसी रिस्क बफर) को बढ़ाने के बाद 2025-26 के लिए इसे कम करने का फैसला किया। इसी वजह से केंद्र सरकार को मिलने वाला डिविडेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। जयराम रमेश ने दावा किया कि अगर 2024-25 का कंटिजेंसी रिजर्व बफर कम नहीं किया जाता, तो सरकार को जितनी राशि मिलती, उससे 92 हजार करोड़ रुपये ज्यादा का फायदा अब मिला है।

आरबीआई ने कहा कि 2025-26 में उसकी कुल कमाई 3.96 लाख करोड़ रुपये रही। यह वह रकम है जो जरूरी सुरक्षा के लिए पैसा अलग रखने और सरकारी फंड में पैसा भेजने से पहले की कमाई है। पिछले साल यानी 2024-25 में RBI की कमाई 3.13 लाख करोड़ रुपये थी। आरबीआई ने यह भी बताया कि 31 मार्च 2026 तक बैंक की बैलेंस शीट 20.61 प्रतिशत बढ़कर 91,97,121.08 करोड़ रुपये हो गई। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें भविष्य के जोखिमों पर भी चर्चा हुई और डिविडेंड को मंजूरी दी

कम उपस्थिति होने पर भी परीक्षा से नहीं कर सकते वंचित, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें विधि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कम अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा देने से रोकने से मना किया गया था। कोर्ट का कहा कि सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इस समस्या से पीड़ित हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की ओर से दायर याचिका सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उच्च न्यायालय के नवंबर 2025 के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं, कार्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अनुच्छेद 249 पर रोक रहेगी। यानी अभी उस आदेश को लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह रोक आगे के लिए लागू मानी जाएगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले की सुनवाई उसके पास चलने के बावजूद देश के दूसरे हाई कोर्ट उन मामलों पर फैसला दे सकते हैं जिनमें उपस्थिति नियमों को लेकर याचिकाएं लंबित हैं। सुनवाई के दौरान, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा से (जो बीसीआई के अध्यक्ष भी हैं) पूछा कि उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने में उन्हें लगभग छह महीने क्यों लगे। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) प्रभावित हो रहे हैं इसके साथ ही यह भी कहा कि छात्र अनिवार्य उपस्थिति नहीं चाहते हैं। पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकता है। इसमें यह देखा गया कि अगर छात्र कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं, तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनएलयू) और अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षक क्या करेंगे। इस मामले में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए। पीठ ने कहा क्या यह फैसला छात्रों को कक्षाओं में न जाने का अधिकार देता है? अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा था, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विधि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या संस्थान में नामांकित किसी भी छात्र को न्यूनतम उपस्थिति की कमी के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा या आगे की शैक्षणिक गतिविधियों या कैरियर की प्रगति से वंचित नहीं किया जाएगा।उच्च न्यायालय ने बीसीआई को तीन वर्षीय और पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए भी कहा था। 13 मई को, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि अगर इस तरह की स्थिति को स्वीकार कर लिया जाए, तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघों और विधि कॉलेजों के छात्रावास महज भोजन और आवास सुविधाएं बनकर रह जाएंगे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसका दृढ़ मत है कि सामान्य रूप से शिक्षा और विशेष रूप से विधिक शिक्षा के लिए उपस्थिति के मानदंडों को इतना कठोर नहीं बनाया जा सकता है कि वह मानसिक आघात का कारण बनें। छात्र की मृत्यु की तो बात ही छोड़ दें। इसने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई और हाई कोर्ट में स्थानांतरित की गई एक संज्ञान याचिका का निपटारा करते हुए सुनाया था, जो 2016 में कानून के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या से संबंधित थी।

बकरीद मनाने वाले छात्र अब न लें परीक्षा की टेंशन, डीयू से मिली राहत

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि बकरीद (ईद-उल-जुहा) के दिन परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ दायर याचिका पर वह छात्रों के धार्मिक अधिकारों का पूरा सम्मान करेगा। जो छात्र बकरीद मनाना चाहते हैं, वे विधि संकाय के डीन को सूचित कर सकते हैं। उनकी परीक्षा चार जुलाई के बाद दोबारा आयोजित की जाएगी। अदालत ने डीयू के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

रिश्तों का धर्म

किसी भी सभ्यता की वास्तविक पहचान उसकी ऊँची इमारतों, चमकती सड़कों, आर्थिक प्रगति या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों, माता-पिता और निर्बल वर्ग के प्रति कितना संवेदनशील है। लेकिन आज का सबसे पीड़ादायक प्रश्न यही है कि जिस भारत ने मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः का उद्घोष किया, जिस धरती से वसुधैव कुटुम्बकम् का विचार पूरी दुनिया में पहुँचा, उसी भूमि पर आज माता-पिता को अपने ही घर में सम्मान और आश्रय पाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में देश की अदालतों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है, जहाँ वृद्ध माता-पिता को अपने ही बच्चों से संरक्षण, भरण-पोषण, रहने की व्यवस्था और संपत्ति पर अधिकार के लिए न्यायिक हस्तक्षेप लेना पड़ा। कहीं बेटे को अदालत यह निर्देश दे रही है कि वह अपनी वृद्ध माँ को घर में एक कमरा, अलग खानपान और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराए, तो कहीं दुर्व्यवहार करने वाली संतान को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल करने के आदेश दिए जा रहे हैं। यह केवल कानूनी घटनाएँ नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और नैतिक पतन की वे चेतावनियाँ हैं जो भविष्य के भारत की तस्वीर पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रही हैं। वास्तव में यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि जिस माँ ने नौ महीने गर्भ में रखकर संतान को जीवन दिया, जिसने अपना रक्त, ममता और त्याग देकर उसे पाला, उसी माँ को अपने ही घर में रहने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़े। जिस पिता ने अपने पसीने और परिश्रम से घर बनाया, बच्चों का भविष्य संवारा, वृद्धावस्था में उसी घर में उसके अधिकार के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े, यह स्थिति केवल व्यक्तिगत कृतघ्नता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं के क्षरण का प्रमाण है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति, स्मार्ट शहर, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं। लेकिन यदि घर के किसी कोने में बैठे वृद्ध माता-पिता अकेलेपन, उपेक्षा और अपमान का जीवन जी रहे हों, तो क्या यह विकास पूर्ण माना जा सकता है? यदि हमारे बुजुर्ग अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर और उपेक्षित हो जाएँ, तो हमारी सारी उपलब्धियाँ खोखली प्रतीत होती हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक निर्धनता की है। नई पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। भौतिक उपलब्धियाँ, कैरियर, उपभोक्तावाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणाएँ जीवन के केंद्र में आ गई हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों की ऊष्मा कम हो रही है और संवाद का स्थान डिजिटल माध्यम ले रहे हैं। परिणामतः बुजुर्गों का जीवन अकेलेपन, असहाय और असुरक्षा का पर्याय बनता जा रहा है। यह सच है कि महानगरीय जीवन की अपनी कठिनाइयाँ हैं। रोजगार, समयाभाव, आर्थिक दबाव और बदलती जीवनशैली ने नई पीढ़ी की चुनौतियाँ बढ़ाई हैं। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद माता-पिता के प्रति दायित्व समाप्त नहीं हो सकते। भारतीय संस्कृति में माता-पिता की सेवा केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन-मूल्य रही है। श्रवण कुमार का आदर्श केवल कथा नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का हिस्सा है। दुर्भाग्य यह है कि आज संपत्ति और स्वार्थ ने अनेक संबंधों को प्रभावित किया है। अखबारों में आए दिन ऐसे समाचार दिखाई देते हैं जिनमें संपत्ति के लिए माता-पिता को प्रताड़ित किया जाता है, घर से निकाला जाता है, मानसिक यातना दी जाती है या उनकी उपेक्षा की जाती है। अनेक वृद्धाश्रम ऐसे माता-पिता से भरे पड़े हैं जिनकी सबसे बड़ी गलती केवल यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर दी। यदि यह प्रवृत्ति यूँ ही बढ़ती रही तो भारत भी उस दिशा में बढ़ सकता है जहाँ पश्चिमी देशों की तरह माता-पिता और संतान के संबंध केवल कानूनी और औपचारिक होकर रह जाएँ। पश्चिमी समाज में अनेक माता-पिता प्रारंभ से ही बच्चों को आत्मनिर्भर बना देते हैं क्योंकि वे भविष्य में उनसे देखभाल की अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन भारतीय समाज का आधार इससे भिन्न रहा है। यहाँ परिवार केवल जैविक इकाई नहीं, बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था रहा है। यह भी स्मरणीय है कि देश में वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 जैसे कानून बनाए गए हैं ताकि वृद्ध माता-पिता के अधिकारों की रक्षा हो सके। न्यायालयों ने अनेक अवसरों पर माता-पिता के संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित रखा है और दुर्व्यवहार करने वाली संतानों के विरुद्ध कठोर टिप्पणियाँ भी की हैं। लेकिन कानून केवल सुरक्षा दे सकता है, संवेदना नहीं। अदालतें कमरे दिला सकती हैं, सम्मान नहीं, भरण-पोषण का आदेश दे सकती हैं, लेकिन ममता और अपनत्व नहीं लौटा सकतीं। यही कारण है कि समाधान केवल कानूनी नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक होना चाहिए। परिवारों में संस्कारों का पुनर्स्थापना आवश्यक है। बच्चों को केवल उच्च शिक्षा और आधुनिक सुविधाएँ देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें मानवीय मूल्य भी देना होंगे। विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को परिवार, सेवा, कृतज्ञता और बुजुर्ग सम्मान जैसे विषयों पर गंभीर पहल करनी चाहिए। आज आवश्यकता है कि विकसित भारत 2047 की अवधारणा में वृद्ध सम्मान को भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया जाए। जिस देश में बुजुर्ग सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट होंगे, वही वास्तव में विकसित कहा जा सकेगा। हमें ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिनमें वृद्धजन कल्याण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग को प्राथमिकता मिले। साथ ही परिवारों को यह समझना होगा कि माता-पिता केवल जिम्मेदारी नहीं, हमारी जड़ें हैं। जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाएँ, उसकी शाखाएँ अधिक समय तक हरी नहीं रह सकतीं। माता-पिता की उपेक्षा केवल एक व्यक्ति की हार नहीं, पूरी पीढ़ी की नैतिक पराजय है। यह भी विचारणीय है कि जो संतान आज अपने माता-पिता के साथ व्यवहार कर रही है, वही व्यवहार भविष्य में उसके हिस्से भी आ सकता है।

बच्चे केवल उपदेश से नहीं, व्यवहार से सीखते हैं। यदि वे अपने माता-पिता को बुजुर्गों की उपेक्षा करते देखेंगे तो वही संस्कार आगे बढ़ेंगे। आज आवश्यकता अदालतों के आदेशों से अधिक अंतःकरण के जागरण की है।

जनजातीय धर्मभक्ति की ज्वाला से बढ़ा दिल्ली का तापमान

लाल किले के प्राचीर से भारत वर्ष के कोने कोने से आये लाखों जनजातीय समाज के लोगों ने अपने धर्म, संस्कृति की रक्षा, हेतु जो हुंकार भरी उसकी अनुगूंज वर्षों वर्षों तक कायम रहेगी। सर्वाधिक मंत्रमुग्ध करने वाला प्रभावशाली विचारोत्तेजक सम्बोधन था भारत के गृहमंत्री अमित शाह का जिन्होंने निर्भीक स्पष्टता से भारतीय जनजातीय समाज की धर्मरक्षा, संस्कृतिरक्षा की बात की। वह अभूतपूर्व और असाधारण बात थी और उन्होंने लाखों जनजातीय बंधुओं-बहनों को एक प्रकार से रोमांचित कर दिया। उनके यह शब्द वर्षों तक याद किए जाएंगे कि भगवान बिरसा मुंडा को तो मैंने नहीं देखा लेकिन आज जो यहाँ जनजातीय समाज का सागर उमड़ पड़ा है मैं उन में बिरसा मुंडा के दर्शन कर रहा हूँ और यह जनजातीय सांस्कृतिक समागम बिरसा मुंडा के उलगुलान (परिवर्तन हेतु जन क्रांति) के बाद का पहला समागम है। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी कोई धर्मरक्षा संस्कृतिरक्षा का समागम नहीं हुआ। इन शब्दों ने जो साहस दिया, जनजातियों का जो मनोबल बढ़ाया उसकी कोई तुलना नहीं है। यह समागम एक प्रकार से जनजातीय वहाँ महा कुंभ था जिसमें सात सौ से अधिक जनजातियों के लोग आए जो जैसलमेर से लेकर लद्दाख, तवांग अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा से लेकर अंडमान निकोबार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल झारखंड से, छत्तीसगढ़- सब जगह से। ऐसा देश ने कभी देखा नहीं और दिल्ली के सद्भावी नागरिकों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और हर घर में इन जनजातीय भाई-बहनों को रुकवाया गया। उनकी सेवा की, उनको भोजन, पानी दिया उनको स्टेशन से लाए और छोड़ने गए। ऐसा दिल्ली ने कभी दृश्य देखा नहीं। दिल्ली का हृदय कितना बड़ा है वह इस समागम के आतिथ्य से पता चला। दिल्ली के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने इस जनजातीय बंधु बहनों का इतना सुंदर सत्कार किया कि उसको व्यक्त करना संभव नहीं है। जो भी जनजातीय समाज छोड़कर ईसाई बनता है, कन्वर्टेड होता है उसको जनजातीय समाज की सूची यानी शेड्यूल ट्राइब सूची से बाहर निकल कर मूल जनजातियों को बचाइए क्योंकि धर्मान्तरण करने वाला जनजातीय रह ही नहीं जाता है। जनजाति समाज के वरिष्ठ इंजीनियर, पद्मश्री से अलंकृत अरुणाचल के प्रसिद्ध वैचारिक अग्रणी तिर्यो गुबिन ने कहा कि वहाँ अरुणाचल क्रिस्चियन फोरम है। उसके नेताओं ने खुले आम सोशल मीडिया पर धमकी दी है कि वे पूरे अरुणाचल को ईसाई लैंड बनाएंगे, क्रिश्चियन लैंड बनाएंगे। गुबिन ने मांग की है कि हमारे धर्म की रक्षा की जाए और जो भी हमारे समाज को छोड़कर ईसाई होता है उसको शिड्यूल ट्राइब की लिस्ट से डीलिस्ट किया जाए। प्रसिद्ध जनजातीय नेता, विचारक एंड राजनीति के धुरंधर गनेश राम भगत ने तो पूरे समागम को एक प्रकार से मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे रक्त में भगवान राम का रक्त है, हम भगवान राम के वंशज हैं। भगवान राम के लिए हमने रावण का हनन किया था और उस को परास्त किया था। हम इस कनवर्जन के राक्षस से भी लड़ सकते हैं और इस राक्षस को हम समाप्त करेंगे। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सहयोग से जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वावधान में इस समागम का आयोजन हुआ। यह संगठन विश्व का सबसे बड़ा गैर ईसाई जनजातीय संगठन है। देश भर में वनवासी कल्याण आश्रम के सत्रह हजार से अधिक प्रकल्प चलते हैं, जिनमें छात्रावास, आरोग्य केंद्र, विद्यालय, धर्मजागरण मंच, खेलकूद केंद्र, शामिल हैं। इसके कार्यकर्ताओं में आईआईटी के स्नातक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जे एन यू, दिल्ली विश्विद्यालय के प्राध्यापक, महिला अधिकार रक्षा संगठनों के प्रमुख, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अनेक मंत्री, सांसद आदि सब सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके अध्यक्ष राजस्थान के भील जनजाति से सत्येंद्र सिंह हैं, जिनका धाराप्रवाह सम्बोधन मुर्दों में भी जान फूंक देता है। इसी प्रकार संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में अतुल जोग, भगवान सहाय, प्रमोद पेठकर, हर्ष चौहान, तेचि गुबिन जैसे अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान हैं परन्तु वे कभी भी सामने आते नहीं, शांत निर्विकार भाव से अनोखे अनजान रहकर जनजाति रक्षा और विकास के कार्य में लगे रहते हैं। उन्हीं की ओर इंगित करते होते अमित शाह ने अपने सम्बोधन में कहा कि जनजाति समाज का हमारे प्रति इतना विश्वास है कि हाल ही के बंगाल चुनावों में प्रदेश की सोलह में से सोलह जनजातीय सीटें भाजपा ने जीती हैं। लाल किले के जनजातीय समागम में मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड और असम की बहनों ने इतना सुंदर वंदे भारतम गाया को सब चकित रह गए। इस समागम की गूंज आने वाले वर्षों तक केवल गूंजती ही नहीं रहेगी बल्कि इसका असर होगा और भारत सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि वह धर्मान्तरित होने वाले तमाम जनजातीय लोगों को डी लिस्ट करे शिड्यूल ट्राइब से बाहर निकाले। इस समागम ने जनजातीय समाज को शक्ति दी है, भक्ति दी है, युक्ति दी है, तत्वचिंतन दिया है और पराक्रम का एक भाव जागृत किया है कि हम जनजातीय हैं, हम भारत माता की संतान हैं, हम कभी परास्त नहीं होंगे राष्ट्र के शत्रुओं को, संस्कृति और धर्म के शत्रुओं को हम परास्त करेंगे।

सम्पादकीय...

संकट दूर हो

भारत यात्रा पर आये अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो के इस कथन से असहमत नहीं हुआ जा सकता कि फारस की खाड़ी के समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को ईरान का बन्धक मार्ग बना कर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है। मगर अमेरिका व इजराइल के ईरान के विरुद्ध चलते युद्ध के बीच ईरान इसे एक चुंगी नाके में बदलना चाहता है और इस मार्ग से गुजरने वाले माल वाहक जहाजों से चुंगी वसूलना चाहता है। श्री रुबियो का भारतीय विदेश मन्त्री एस. जय शंकर के साथ एक संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में दिया गया यह जवाब पूरी तरह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ही कहा जायेगा कि यदि ईरान को ऐसा करने दिया गया तो इससे विश्व के अन्य जल मार्गों पर भी अनियमितताएं पैदा होने का संकट गहरा सकता है और गलत परंपरा शुरू हो सकती है। जहां तक भारत का सवाल है तो इसने श्री मार्को रुबियो के इस मत से सहमति जताई है और जलडमरूमध्य को निर्बाध रूप से खुला रखने की वकालत की है। मगर इसके साथ हमें यह भी देखना होगा कि पश्चिम एशिया युद्ध को शुरू हुए अब लगभग तीन महीने का समय पूरा होने जा रहा है और दोनों ही पक्षों के बीच तनातनी बनी हुई है। भारत हमेशा से इस मत का रहा है कि विश्व की किसी भी समस्या का हल केवल कूटनीतिक संवाद के रास्ते से ही खोजा जाना चाहिए क्योंकि युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि युद्ध अपने साथ अन्य विभिन्न प्रकार के संकटों को लेकर आता है। इस मामले में अमेरिका व ईरान के बीच वाया पाकिस्तान में जो कूटनीतिक वार्ताएं हो रही हैं उनका सुखद परिणाम भी अभी तक सामने नहीं आया है परन्तु इस मोर्चे पर कुछ प्रगति के आसार जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि अब 60 दिन के युद्ध विराम की चर्चा चल रही है। इस युद्ध के चलते विश्व के विभिन्न देशों की अर्थ व्यवस्था पर जिस प्रकार का विपरीत असर पड़ रहा है उससे दुनिया के आधे से अधिक भाग के समक्ष ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है और पेट्रोल व डीजल तथा ईंधन गैस के दाम आसमान की तरफ भागने लगे हैं। युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्रीय स्थायित्व को ही संकट में नहीं डाला है अपितु इसका असर वैश्विक शक्ति सन्तुलन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पिछले दिनों की गई चीन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन को ईरान का हिमायती माना जाता है लेकिन अब लगता है कि ईरान व अमेरिका दोनों ही युद्ध से आजिज आ चुके हैं और कोई शान्तिपूर्ण मार्ग खोज रहे हैं। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि श्री ट्रम्प की युद्ध नीति का उनके अपने देश अमेरिका में ही व्यापक विरोध हो रहा है और दूसरी ओर ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। अतः दोनों पक्षों की ओर से ही समझौता प्रस्तावों का विनिमय हो रहा है मगर दोनों पक्ष इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि समझौते के बाद दोनों को अपने-अपने देश की जनता के समक्ष सिर नीचे करके खड़ा न होना पड़े। इसी वजह से अभी तक के सभी समझौता प्रस्तावों पर मतैक्य कायम नहीं हो सका है। इस बीच इस खबर का आना कि 60 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर दोनों पक्ष लगभग सहमत हैं, सुखदायी घटना मानी जा सकती है।

जौनपुर की मीरा ने नीली क्रांति में की हिस्सेदारी: मत्स्य पालन से बदली तस्वीर

उत्तर प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में नवाचार के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बदलाव में मत्स्य पालन एक ऐसे मुनाफे वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है जिसने न केवल पारंपरिक किसानों की आय में वृद्धि की है बल्कि महिलाओं और युवाओं को भी स्वावलंबन का एक नया रास्ता दिखाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं के चलते राज्य में मछली पालन अब सिर्फ एक पारंपरिक व्यवसाय नहीं रह गया है बल्कि यह एक आधुनिक और अत्यधिक लाभकारी उद्योग का रूप ले चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और मछुआरों व मत्स्य पालकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य मछली पालन से जुड़े लोगों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और वित्तीय सहायता के माध्यम से उनके जोखिम को कम करना है। सरकार द्वारा संचालित इन पहलों में लाभार्थियों को चालीस से लेकर साठ प्रतिशत तक का भारी अनुदान दिया जा रहा है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी तकदीर बदल रहे हैं। इस दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना राज्य में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत नए तालाबों के निर्माण से लेकर आधुनिक तकनीकों जैसे री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लो तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन उन्नत तकनीकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें कम जमीन और कम पानी में भी अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण मछली का उत्पादन किया जा सकता है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आवेदकों को चालीस प्रतिशत और महिला तथा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को साठ प्रतिशत तक की बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। तकनीक और आर्थिक मदद के इस बेहतरीन समन्वय का एक जीवंत उदाहरण जौनपुर की महिला उद्यमी श्रीमती मीरा सिंह की सफलता की कहानी में देखा जा सकता है। श्रीमती मीरा सिंह ने जब कार्य प्रारम्भ किया तब उनके पास मात्र एक एकड़ का एक तालाब था। उन्हें मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारियां भी नहीं थीं। ऐसे में कई चुनौतियां उनके सामने आईं। इसी बीच उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी हुई और उन्होंने जौनपुर में विकास भवन स्थित मत्स्य कार्यालय में सम्पर्क किया। मत्स्य विभाग ने उनके तालाब का स्थलीय निरीक्षण किया और मत्स्य पालन की वैज्ञानिक जानकारियां दीं। उन्होंने विभागीय मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का सही समय पर लाभ उठाकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में कदम रखा। शुरुआत में छोटी चुनौतियों का सामना करने के बाद जब उन्हें अपने उत्पाद का सही बाजार मूल्य मिलने लगा तो उनका हौसला बढ़ता गया। श्रीमती मीरा सिंह का चयन वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत बीज हैचरी में हुआ तथा इन्हे मत्स्य विभाग से 15 लाख का अनुदान प्रदान किया गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे-धीरे अपने उत्पादन के दायरे को विस्तार देना शुरू किया। उनकी कड़ी मेहनत और आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाने का नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2024-25 के दौरान उनका मत्स्य उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उन्होंने वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप पंगेशियस मछली की प्रजाति का संचय किया और दो सफल कल्चर अवधियों के भीतर लगभग बारह सौ पचास कुंतल मछली का बंपर उत्पादन कर दिखाया। इस भारी उत्पादन के बूते उन्होंने बाजार में करीब एक सौ पच्चीस लाख रुपये का बड़ा कारोबार खड़ा किया। वर्तमान में वे लगभग पच्चीस एकड़ के विशाल क्षेत्र में तालाबों का निर्माण करवाकर बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन का कार्य कर रही हैं। श्रीमती मीरा सिंह की यह सफलता केवल उनके अपने परिवार की समृद्धि तक सीमित नहीं रही बल्कि इसने पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। उनके इस साहसिक और सफल प्रयास को देखकर गांव और आसपास के इलाकों के तमाम ग्रामीण बेहद प्रेरित हुए। उनके काम से प्रभावित होकर कई अन्य ग्रामीणों और किसानों ने भी मत्स्य पालन को अपनी आजीविका का मुख्य साधन बनाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अपने पूरे परिवेश में रोजगार के कई नए अवसर पैदा कर दिए। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन भी जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार सक्रिय है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के साथ ही राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हो रही है।

इस योजना के तहत नए तालाबों का पट्टा पाने वाले गरीब और पट्टाधारकों को बीज बैंकों की स्थापना करने के लिए चालीस प्रतिशत तक का अनुदान और वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि मछली पालकों को उत्तम किस्म के मछली के बच्चे आसानी से अपने आसपास ही मिल सकें। इसके साथ ही पारंपरिक मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए निषादराज बोट सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से मछुआरों को नदी या जलाशयों में मछली पकड़ने के लिए आधुनिक नाव और मजबूत जाल खरीदने के लिए विशेष आर्थिक सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि वे सुरक्षित तरीके से अपनी आजीविका चला सकें। मछुआरों के जीवन को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना भी पूरी तरह मुफ्त चलाई जा रही है जिसमें किसी भी अनहोनी या विकलांगता की स्थिति में पीड़ित परिवार को बड़ा वित्तीय संबल मिलता है। मछली पालन के क्षेत्र को पूरी तरह आधुनिक और बाजार के अनुकूल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष की स्थापना भी की गई है। इस कोष के जरिए मछलियों को बाजार तक सुरक्षित और ताजा पहुंचाने के लिए 'मोपेड विद आइसबॉक्स' यानी बर्फ के बक्से से युक्त दुपहिया वाहन और तालाबों में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने वाले एयरेशन सिस्टम की खरीद पर भारी अनुदान दिया जाता है। इस तरह की सुविधाओं से मछुआरे अपने उत्पाद को बिना खराब हुए दूर के बाजारों में ले जाकर अच्छे दामों पर बेच पा रहे हैं। इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया को भी बेहद पारदर्शी और सरल बनाया गया है। कोई भी इच्छुक नागरिक या किसान मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता है। इसके अलावा संबंधित जिले के मत्स्य विभाग कार्यालय से संपर्क करके भी किसी भी योजना की विस्तृत जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता शिविर भी लगाए जा रहे हैं ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी इन कल्याणकारी नीतियों का लाभ मिल सके। आज श्रीमती मीरा सिंह प्रतिवर्ष हजारों कुंतल मछली का उत्पादन कर क्षेत्र की एक स्थापित उद्यमी बन चुकी है और उनका यह सफर अन्य किसानों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। वे समय-समय पर नए लोगों और युवाओं को इस व्यवसाय की बारीकियों से अवगत कराती हैं और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण व सलाह भी देती हैं। सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यक्तिगत स्तर पर अटूट आत्मविश्वास व कठिन परिश्रम के मेल ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आर्थिक प्रगति की एक नई इबारत लिख दी है जो आने वाले समय में राज्य को मत्स्य उत्पादन में अग्रणी बनाने की दिशा में अग्रसर है।

अन्नदाता की उन्नति, राष्ट्र की समृद्धि

देश के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किसानों के हित में संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज के दौर में भारतीय कृषि नीति का सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी योजना साबित हुई है। भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित यह योजना विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर संचालित की गई है, जो अक्सर निवेश की कमी के कारण खेती में पिछड़ जाते थे। इस योजना की संरचना बेहद सरल और प्रभावी है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र कृषक परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका ''प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण'' (डीबीटी) तंत्र है, जिसने बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल कृषि प्रधान राज्य में, जहाँ जोत का आकार छोटा है, यह योजना किसानों के लिए समय पर खाद, बीज और अन्य कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने का एक विश्वसनीय जरिया बन गई है। इस योजना के तकनीकी और प्रशासनिक ढांचे में - कृषक परिवार की परिभाषा को बहुत स्पष्ट रखा गया है। उत्तर प्रदेश ने इस योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस योजना के प्रारंभ से लेकर 22वीं किस्त के वितरण तक, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 3.12 करोड़ कृषक परिवारों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इन परिवारों के बैंक खातों में अब तक कुल 99,032.58 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। केवल 22वीं किस्त में ही प्रदेश के 2.18 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 4,364.00 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। यह निवेश न केवल ग्रामीण क्रय शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि खेती-किसानी के प्रति किसानों के मनोबल को भी ऊँचा करता है, जिससे वे भविष्य की फसलों के लिए बेहतर योजना बनाकर खेती करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़े उत्तर प्रदेश में इस योजना की व्यापकता और सफलता की एक नई कहानी बयां करते हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रदेश के 2.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में 13,721 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आए उस बदलाव का प्रतीक है जो खेती को घाटे से उबारकर लाभ की ओर ले जा रहा है। लाभार्थियों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें 1.91 करोड़ से अधिक पुरुष और 88 लाख से अधिक महिला कृषक परिवार शामिल हैं। महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी इस योजना में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो देश के कुल 9.7 करोड़ लाभार्थियों में से लगभग 24 प्रतिशत (2.34 करोड़ से अधिक) लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश के हैं, जो डबल इंजन सरकार द्वारा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को प्रमाणित करता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की विकास यात्रा का वर्षवार आंकड़ा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहा है। वर्ष 2018-2019 में 2,238.92 करोड़ रुपये के वितरण से शुरू हुआ यह सफर 2019-2020 में 11,006.87 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इसके बाद, वर्ष 2020-2021 में 14,432.14 करोड़, 2021-2022 में 15,775.52 करोड़ और 2022-2023 में 12,454.32 करोड़ रुपये की राशि किसानों तक पहुँची। आगामी वर्षों में भी यह गति बनी रही, जहाँ 2023-2024 में 13,808.48 करोड़ और 2024-2025 में 15,594.74 करोड़ रुपये का वितरण किया गया। वर्तमान वर्ष 2025-2026 में अब तक 13,721.59 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इन आठ वर्षों के दौरान कुल वितरित राशि 99,032.58 करोड़ रुपये के विशाल आंकड़े तक पहुंच चुकी है। यह निरंतरता दर्शाती है कि सरकार किसानों की आय में वृद्धि और उन्हें कर्ज के जाल से मुक्त करने के लिए कितनी गंभीर है, जिससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता में भारी कमी आई है। पीएम-किसान योजना ने कृषि निवेश के प्रति किसानों के नजरिए को भी बदला है। बुआई के मौसम से ठीक पहले मिलने वाली यह राशि किसानों को साहूकारों की ऊँची ब्याज दरों वाले ऋण से बचाती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह देखा गया है कि छोटे किसान इस राशि का उपयोग केवल बीज और खाद के लिए ही नहीं, बल्कि आधुनिक कृषि यंत्रों के किराए और सूक्ष्म सिंचाई जैसे सुधारों के लिए भी कर रहे हैं। इससे फसल की पैदावार में सुधार हुआ है और किसानों की जोखिम सहने की क्षमता बढ़ी है। राज्य सरकार द्वारा भू-लेखों के सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने से योजना की पारदर्शिता और भी सुदृढ़ हुई है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी खजाने का पैसा केवल वास्तविक खेती करने वाले हाथों में ही जाए। यह डिजिटल इंडिया और कृषि के सफल संगम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने व्यवस्था में विश्वास पैदा किया है। सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह योजना ग्रामीण पलायन को रोकने में भी एक मूक क्रांति की तरह काम कर रही है। जब छोटे किसान को यह भरोसा मिलता है कि उसे साल में तीन बार एक निश्चित राशि प्राप्त होगी, तो वह अपनी जमीन छोड़ने के बजाय उसे और अधिक उपजाऊ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में आई यह स्थिरता ग्रामीण बाजारों में रौनक ला रही है। 2.34 करोड़ परिवारों का सीधे तौर पर इस योजना से लाभान्वित होना यह स्पष्ट करता है कि सरकार की पहुँच अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हो चुकी है। महिला लाभार्थियों की 88 लाख से अधिक की संख्या यह भी बताती है कि अब ग्रामीण भारत में महिलाएं केवल कृषि श्रमिक नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर किसान के रूप में पहचानी जा रही हैं, जो सामाजिक ढांचे में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने उत्तर प्रदेश के कृषि परिदृश्य को एक नई दिशा दी है। लगभग एक लाख करोड़ रुपये का निवेश सीधे किसानों के खातों में पहुँचना ऐतिहासिक है। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें एक गरिमामय जीवन जीने का अवसर भी दे रही है। आंकड़ों की पारदर्शिता और लाभार्थियों की विशाल संख्या इस बात का प्रमाण है कि विकास का लाभ अब सीधे जनता तक पहुँच रहा है। आने वाले समय में, यह योजना और इसके साथ जुड़ी अन्य कृषि कल्याणकारी नीतियां मिलकर उत्तर प्रदेश को ''उत्तम प्रदेश'' से ''आत्मनिर्भर प्रदेश'' बनाने के संकल्प को सिद्ध करेंगी। इस योजना की सफलता ने प्रदेश के अन्नदाता को यह विश्वास दिलाया है कि राष्ट्र उनकी मेहनत का सम्मान करता है और हर कदम पर उनके

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैन्टालूना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/00882)

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एडीएम एफआर सख्त, ब्लैक स्पॉट्स पर सुरक्षा और अनफिट स्कूली वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश

कुशीनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में फाजिलनगर ओवरब्रिज एवं फ्लाईओवर पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एडीएम एफआर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग, आरटीओ, पुलिस विभाग एवं एनएचएआई की संयुक्त टीम गठित कर क्षेत्र का ऑडिट कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। अपर जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि जलभराव वाले क्षेत्रों एवं संवेदनशील मोड़ों पर तत्काल वाटर टेरेस बैरिकेडिंग लगाई

जाए, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में जिले में आठ विशेष सीसी टीमें गठित हैं, जो 24 घंटे सड़कों पर निगरानी एवं कार्रवाई कर रही हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के संबंध में आरटीओ विभाग ने जानकारी दी कि अनफिट एवं नियम विरुद्ध संचालित स्कूली वाहनों की नियमित जांच की जा रही है तथा ऐसे वाहनों के विरुद्ध सीज करने की कार्रवाई भी लगातार जारी है। शिक्षा विभाग के सहयोग से 'ट्रांसपोर्ट पोर्टल' प्रारंभ किया गया है, जिस पर जनपद के सभी चिन्हित स्कूली वाहनों का विवरण अपलोड कर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी वाहन की फिटनेस समाप्त अथवा अनफिट पाए जाने पर तत्काल डिजिटल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में चिकित्सा विभाग द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायलों को गोल्डन ऑवर के अंतर्गत शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने हेतु जनपद के सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स एवं संवेदनशील स्थलों के निकट एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

रेलवे बोर्ड से किया हूं प्रेम मंदिर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की मांग- वीरेंद्र चौधरी

फरेंदा, आनंदनगर।

नगर पंचायत आनंद नगर के वार्ड संख्या 14, सुभाष नगर (फरेंदा खुर्द) में सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम के उपरांत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि फरेंदा विधानसभा क्षेत्र की महान जनता ने उन्हें सेवा का जो अवसर प्रदान किया है, उसके प्रति वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा जनसमस्याओं के समाधान के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी है। विधायक चौधरी ने कहा कि प्रेम मंदिर रेलवे फाटक पर लगातार लगने वाले जाम से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान हेतु उन्होंने रेलवे के उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शीघ्र ही इस दिशा में सकारात्मक पहल होगी। उन्होंने वार्डवासियों की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि शीघ्र ही प्रेम मंदिर-फरेंदा खुर्द-जमुहरा मार्ग के 5 मीटर चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो सके। इसके अतिरिक्त फरेंदा नगर के पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्रों को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए रिंग रोड निर्माण का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर वार्ड संख्या 9 के सभासद प्रतिनिधि जितेंद्र मौर्य, पूर्व प्रधान रामशरण गुप्ता, रमेश चंद्र श्रीवास्तव, डॉ. रामनारायण चौरसिया, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, चुन्नू दुबे, राजेश मौर्या, चंदन तिवारी प्रधान, नासिर यादव, सिराजुद्दीन, प्रदीप गुप्ता, आकाश गुप्ता, पूर्णमासी प्रसाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम प्यारे प्रसाद सहित सैकड़ों क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

पेट्रोल-डीजल किल्लत पर उप जिलाधिकारी सख्त

पंप मालिकों और सीओ संग की बैठक, अवैध भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध

महराजगंज फरेन्दा ।

जनपद में पेट्रोल और डीजल की किल्लत के बीच उत्पन्न हुई स्थितियों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है।

ईंधन की कमी से जूझती जनता को राहत देने और व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए फरेन्दा तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने बैठक की।इस बैठक में क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, क्षेत्राधिकारी फरेन्दा दीपशिखा और सर्किल के सभी थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य ईंधन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाना रहा।

लंबी कतारों और अव्यवस्था से मिलेगी मुक्ति

बैठक के दौरान उपजिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने पेट्रोल पंप मालिकों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि पंपों पर ईंधन का वितरण पूरी तरह से सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए।

पेट्रोल पंपों पर लग रही आम जनता की लंबी कतारों और वहां उत्पन्न हो रही अव्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एसडीएम शैलेन्द्र कुमार गौतम ने कहा कि सभी संचालक ऐसी पुख्ता व्यवस्था बनाएं जिससे आम जनता को घंटों लाइनों में न लगना पड़े और उन्हें आसानी से ईंधन उपलब्ध हो सके। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध भंडारण और जमाखोरी पर तत्काल प्रभाव से रोक

ईंधन संकट के दौरान मुनाफे के चक्कर में होने वाली कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। बैठक में मौजूद क्षेत्राधिकारी फरेन्दा दीपशिखा और सर्किल के सभी थाना प्रभारियों को पुलिस चेकिंग व गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

संयुक्त छापेमारी- पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी।

कड़ी निगरानी- पेट्रोल-डीजल के अवैध भंडारण (जमाखोरी) और गैलन या ड्रमों में दिए जाने वाले संदिग्ध ईंधन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सख्त कार्रवाई- यदि कोई भी संचालक या बिचौलिया जमाखोरी या अवैध बिक्री में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कराने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार

पडरौना, कुशीनगर।

थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के पिपरा बुजुर्ग गांव में विवादित भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर नया विवाद सामने आया है। गांव निवासी शकील अंसारी ने आरोप लगाया है कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद पड़ोसी द्वारा विवादित जमीन पर पक्की नाली का निर्माण कराया जा रहा था। पीड़ित शकील अंसारी के अनुसार आराजी संख्या 794 की भूमि को लेकर उनका और उनके भाइयों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय तक उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश पारित किया गया है। इसके बावजूद आरोप है कि पड़ोसी लतीफ अंसारी ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया। शकील अंसारी का कहना है कि जब उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। मामले को लेकर पीड़ित ने जिलाधिकारी एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना नेबुआ नौरंगिया के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है और निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच में यदि न्यायालय के स्थगन आदेश के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ संपन्न कराने के लिए एसडीएम ने की बैठक, दिए सख्त निर्देश

महराजगंज।

बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए फरेंदा तहसील सभागार में बैठक हुआ। उप जिलाधिकारी फरेंदा शैलेंद्र कुमार गौतम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी और समस्त थानाध्यक्षों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करना था।

बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और थाना प्रभारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बकरीद का त्योहार आपसी सहमति, प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया जाना

चाहिए। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अराजकता या शांति भंग करने की कोशिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त बढ़ाएं और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों और अफवाहों पर भी पैनी नजर रखने की हिदायत दी गई, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर सके।

अधिकारियों को सौंपी गई विशेष जिम्मेदारियां

बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। एसडीएम शैलेन्द्र कुमार गौतम ने संबंधित अधिकारियों को त्योहार के मद्देनजर मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास साफ-सफाई, निर्बाध बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहार के दिन आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बैठक में मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) दीपशिखा वर्मा ने भी पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में शांति समिति (पीस कमेटी) की बैठकें आयोजित करें, जिसमें स्थानीय संभ्रांत नागरिकों और धर्मगुरुओं को शामिल किया जाए, ताकि आपसी समन्वय से त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके।इस दौरान सीओ फरेंदा दीपशिखा वर्मा, प्रभारी निरीक्षक पुरन्दरपुर गौरव राय कत्रौजिया, थानाध्यक्ष बृजमनगंज मदन मोहन मिश्रा, थानाध्यक्ष कोल्हुई कुंवर गौरव सिंह, थानाध्यक्ष फरेंदा राघवेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।

विकास भवन में गूंजीं सुंदरकांड की चौपाइयां-जेठ के चौथे बड़े मंगलवार पर भंडारे में उमड़ा जनसैलाब, अफसरों ने परोसा प्रसाद

देवरिया।

शासकीय फाइलों के निस्तारण और ग्रामीण विकास की योजनाओं के ताने-बाने में व्यस्त रहने वाला विकास भवन परिसर मंगलवार को पूरी तरह भक्ति और आध्यात्मिक रंग में डूबा नजर आया। ज्येष्ठ (जेठ) माह के चौथे बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर विकास भवन परिसर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना, संगीतमय सुंदरकांड पाठ और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक एवं सामाजिक समागम में जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, पटल प्रभारियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और सुदूर गांवों से अपनी फरियाद लेकर आए आम नागरिकों ने बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर प्रभु का आशीर्वाद और महाप्रसाद ग्रहण किया। सुबह से ही पूरा विकास भवन परिसर सुंदरकांड की संगीतमय चौपाइयों और हनुमान चालीसा के पाठ से गुंजायमान हो उठा। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने मुख्य यजमान के रूप में हनुमान जी की आरती उतारी और जनपद की सुख-समृद्धि की कामना की। दोपहर बाद शुरू हुए विशाल भंडारे में रसूख और पद की सीमाएं पूरी तरह टूट गईं। एक तरफ जहां वरिष्ठ अधिकारी खुद खड़े होकर आम जनता को महाप्रसाद परोस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों और फरियादियों का हुजूम एक साथ बैठकर प्रसाद पा रहा था। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी वी.के. सिंह, एडीएम (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राम शंकर, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी, डीसी मनरेगा और एनआरएलएम सहित विकास भवन के समस्त विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस पावन अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि शासकीय दायित्वों की व्यस्तता के बीच इस प्रकार के पारंपरिक और सामाजिक आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि ये समाज में आपसी सद्भाव, भाईचारा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ भव्य धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान
कलेक्ट्रेट और विकास भवन के शीर्ष अधिकारियों ने एक कतार में बैठकर ग्रहण किया महाप्रसाद

आतंकवाद फंडिंग केस- इंजीनियर राशिद को राहत, हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत; पिता की रस्मों में होंगे शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बारामूला से सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को आतंकवाद फंडिंग मामले में 25 जून से 30 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें अपने पिता के निधन के बाद होने वाले धार्मिक रीति-रिवाजों में शामिल होने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने हालांकि राशिद को निर्देश दिया कि 18 मई को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद वह दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे। राशिद के वरिष्ठ वकील ने अदालत से अनुरोध किया था कि सांसद को दी गई अंतरिम जमानत बढ़ाई जाए, ताकि वह श्रीनगर में अपने पिता के दफन के 40वें दिन होने वाली रस्मों में शामिल हो सकें। अदालत ने आदेश में कहा, 18 मई को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद अपीलकर्ता आत्मसमर्पण करेगा। हालांकि 25 जून से 30 जून तक की अवधि के लिए अपीलकर्ता को फिर से अंतरिम जमानत दी जाती है, ताकि वह 40वें दिन होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों और रस्मों में भाग ले सके।

कोर्ट ने कहा कि 25 जून से 30 जून तक की अंतरिम जमानत पर वही शर्तें लागू होंगी, जो फिलहाल राशिद की रिहाई के दौरान लागू हैं। 18 मई को पीठ ने राशिद की अंतरिम जमानत के दौरान कई शर्तें लगाई थीं। इनमें यह भी शामिल था कि उनके साथ हमेशा सादे कपड़ों में कम से कम दो पुलिसकर्मी रहेंगे, जो तिहाड़ जेल से श्रीनगर जाने और लौटने तक उनके साथ रहेंगे। अदालत ने यह भी कहा था कि उन्हें कब्रिस्तान या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन अपने आवास के अलावा कहीं और जाने की अनुमति नहीं होगी। 28 अप्रैल को हाई कोर्ट ने राशिद को अपने बीमार पिता से श्रीनगर में मिलने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। बाद में उनके पिता को इलाज के लिए दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराए जाने के बाद यह अवधि 10 मई तक बढ़ा दी गई थी। राशिद आतंकवाद फंडिंग मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी संगठनों को फंडिंग देने के आरोप हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उन्हें 2017 के इस मामले में गिरफ्तार किया था और वह 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। अक्टूबर 2019 में चार्जशीट में नाम आने के बाद विशेष एनआईए अदालत ने मार्च 2022 में राशिद और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और 124ए (देशद्रोह) सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

देश के डेमोग्राफिक बदलाव से चिंतित सरकार, घुसपैठ पर अमित शाह का बड़ा फैसला, हाई लेवल कमेटी का गठन

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफिक चेंज पर हाईलेवल कमेटी का गठन किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह कमेटी, अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी.

उन्होंने कहा, घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी. मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने इस कमिटी का गठन कर लिया है.

रिटायर जस्टिस होंगे कमेटी के अध्यक्ष

केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर बताया, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (रिटायर) की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी में जनगणना आयुक्त के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा , बालाजी श्रीवास्तव और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे. संयुक्त सचिव , गृह मंत्रालय, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.

डेमोग्राफिक चेंज का विश्लेषण करेगी कमेटी

उन्होंने बताया, डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है. यह कमेटी, अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक, सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी. साथ ही इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी.

घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सख्त

गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार अलग-अलग मंचों से देश में घुसपैठ का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का बल्कि हर एक अवैध व्यक्ति की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने का भी संकल्प लिया है.

इससे पहले उन्होंने कहा था, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकारें हैं जो इस सिद्धांत का समर्थन करती हैं कि कोई घुसपैठ नहीं होनी चाहिए. बीएसएफ को न केवल सीमा की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि घुसपैठियों, घुसपैठ के रास्तों और मवेशियों की तस्करी के रास्तों का पता लगाने और उन्हें बंद करने के लिए गांव के पटवारी, पुलिस स्टेशन, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ संवाद के पुल भी बनाने चाहिए.

बांग्लादेश बॉर्डर पर उमड़ी भीड़

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर सख्ती बरती जा रही है. इसकी वजह से अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश लौटने के लिए उमड़ रहे हैं. मंगलवार (26 मई 2026) सुबह हकीमपुर चेक पोस्ट पर घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए पहुंचे. डिटेक्टेड डिपोर्टेट होल्डिंग सेंटर के निर्देश जारी होने के बाद बांग्लादेशी बड़ी संख्या में सीमा पर लौट रहे हैं.

मॉनसून के पहले ही गुड न्यूज

दिल्ली-यूपी से बिहार-झारखंड तक बारिश का अलर्ट, मुंबई- केरल में भी झमाझम बरसात

नई दिल्ली। प्रचंड गर्मी के बीच देश में अब मॉनसून का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं. हालांकि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने पहले अपने पूर्वानुमान में कहा था कि इस साल मॉनसून केरल में 26 मई को आएगा. लेकिन अब केरल में मॉनसून इस बार 2-4 जून के बीच आने की संभावना बन रही है. लेकिन अच्छी बात है कि मॉनसून के पहले ही मई के आखिरी हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से भारी बारिश का सिग्नल है. मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मॉनसून को लेकर स्थितियां लगातार अनुकूल बनी हुई हैं. ये अगले 2-3 दिनों में साउथवेस्ट और दक्षिण पश्चिम अरब सागर, बंगाल की

खाड़ी और अंडमान सागर के बाकी हिस्सों के बड़े इलाके को कवर करेगा. सामान्य तौर पर भारत के तटीय इलाके में मॉनसून 1 जून के आसपास पहुंचता है. मौसम विभाग इसी तारीख को केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के टकराने को पारंपरिक तारीख मानता है.

राहुल गांधी का बड़ा ऐलान- कांग्रेस में दलित की होगी केंद्रीय भूमिका, यूपी चुनाव पर नजर

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दलित अब पार्टी के भीतर एक केंद्रीय भूमिका निभाएंगे, और उन्होंने जाति आधारित क्षेत्रीय दलों के उदय का श्रेय पिछले दशकों में कांग्रेस की अपनी नीतियों को दिया। 26 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने 1980 और 90 के दशक के दौरान दलितों के लिए उचित उपाय किए होते, तो न तो जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियां उभरतीं और न ही दलित उनकी ओर आकर्षित होते। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने दलित समुदाय को एकजुट करने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए बसपा संस्थापक कांशी राम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भाजपा एक साथ क्षेत्रीय दलों को भंग करने और

दलितों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है, जिससे दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस दलित अधिकारों की रक्षा करेगी और बाबासाहेब अंबेडकर के सपनों को साकार करेगी, साथ ही उन्होंने कहा कि दलित पार्टी में अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक एक साल पहले, राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय की उपेक्षा की है और इसके लिए माफी मांगी थी। अब उन्होंने दलित समुदाय के बारे में भी इसी तरह की भावना व्यक्त की है। इन प्रयासों के माध्यम से राहुल गांधी दलित और पिछड़े समुदायों के बीच कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने संविधान प्रदर्शित करते हुए रैलियां निकालीं और आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संविधान खतरे में है। माना जाता है कि इस रणनीति ने दलित मतदाताओं के बीच कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को चुनावी लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राहुल गांधी ने ओबीसी श्रेणी के लिए जाति जनगणना की भी वकालत की है। इन सभी पहलों के चलते लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या दोगुनी हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राहुल गांधी दलित और पिछड़े वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास तेज कर रहे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने अपने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में दलित स्वतंत्रता सेनानी वीर पासी की प्रतिमा का अनावरण किया और एक बहुजन सभा को संबोधित किया।

योगी सरकार पर अखिलेश का बड़ा हमला, बोले- फर्जी मुठभेड़ों से खड़ा किया आपराधिक तंत्र

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 26 मई को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए उस पर फर्जी मुठभेड़ों के माध्यम से एक आपराधिक तंत्र स्थापित करने और पुलिस कर्मियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए यादव ने दावा किया कि सरकार मुठभेड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों को बाद में छोड़ देती है। गोरखपुर फर्जी मुठभेड़ मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई पुलिसकर्मियों को जेल में डाल दिया गया है जबकि सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। यादव ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ों के जरिए पूरा आपराधिक तंत्र खड़ा हो गया है। कुछ वकील फर्जी मुठभेड़ों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बातें करते हैं और

मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। जब पुलिसकर्मी फर्जी मुठभेड़ों में फंस जाते हैं, तो सरकार उनसे मुंह मोड़ लेती है। आज गोरखपुर फर्जी मुठभेड़ मामले के कारण कई पुलिसकर्मी जेल में हैं। भाजपा सरकार फर्जी मुठभेड़ों में दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने के बाद उनसे मुंह मोड़ लेती है। सरकार पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। पुलिसकर्मियों को यह समझना चाहिए कि भविष्य में उनके अपने परिवार वाले भी उन्हें हत्यारा समझेंगे। यादव ने आगे कहा कि फर्जी मुठभेड़ों में शामिल पुलिस अधिकारियों को आजीवन परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने इस प्रथा की निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया और सरकार पर इसके जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि फर्जी मुठभेड़ों में हत्या करने वाले पुलिसकर्मी हर दिन धीमी मौत मरते हैं। कई अधिकारियों ने मुठभेड़ों के डर का फायदा उठाकर महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं। फर्जी मुठभेड़ों के डर से निवेश नहीं आता; भाजपा को भी अपने ही लोगों को नुकसान होता है। जाति आधारित फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं। यादव ने समझाया कि मुठभेड़ को आम तौर पर झड़प कहा जाता है। इसमें हिंसक और आपराधिक गतिविधियों की कोई जगह नहीं है। फर्जी मुठभेड़ों के जरिए एक 'मानसिक सॉफ्टवेयर' सेट किया जाता है, लेकिन उसे अपडेट नहीं किया जाता। लोगों में हिंसा भड़काई जा रही है। हत्या को हिंसा के रूप में पेश किया जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ें गलत हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हैं। सरकार फर्जी मुठभेड़ों के जरिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। यह कई जगहों पर देखा जा रहा है।

कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से पांच मजदूर जिंदा दफन, सभी के शव निकाले गए

पन्ना। पन्ना के अजयगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम बीहरपुरवा के नयापुरवा में खेत पर कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पांच मजदूरों की मौत हो गई है। बिन्नू अहिरवार के खेत में पिछले करीब 10 दिनों से सात मजदूर कुएं की खुदाई कर रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अचानक मिट्टी धंसने से पूरा घटनाक्रम मातम में बदल गया। पन्ना जिले के जनसंपर्क अधिकारी ने एक्स पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बीहरपुरवा के नयापुरवा में मंगलवार को ग्राम पंचायत द्वारा निर्माणाधीन कुआं की मिट्टी धंसने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दो व्यक्ति सकुशल बाहर निकले गए थे, हालांकि अब सभी के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, खुदाई के दौरान दो मजदूर पानी पीने के लिए ऊपर आए ही थे कि अचानक कुएं की मिट्टी भरभराकर धंस गई और अंदर काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में दबे मजदूरों के नाम चुन्नू यादव, राजकुमार यादव, आशीष यादव और चुन्वाद पाल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान राजकुमार यादव का शव बाहर निकाल लिया गया है। घटना के बाद मौके पर पुलिस टीम, राजस्व विभाग और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय जानकारी के अनुसार, जिस स्थान पर कुएं की खुदाई हो रही थी, वहां की मिट्टी भुरभुरी और कमजोर थी। तकनीकी नजरिए से ऐसे स्थान पर गहरी खुदाई करना पहले से ही हादसे को न्योता देने जैसा माना जाता है और आखिरकार वही हुआ।

प्रधान सेवक के रूप में पीएम मोदी के 12 साल पूरे

योगी ने तारीफ में गढ़े कसीदे, गिनाई उपलब्धियां; बोले- दुनिया में मजबूत हुई भारत की छवि

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस पद पर अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधान सेवक के रूप में सेवा, सुशासन और लोक-कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा, इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जनभागीदारी ने विकास को जन-आंदोलन का रूप दिया। यही वह दृष्टि है, जिसने ऐसे नए भारत को गढ़ा, जहां नारी सशक्तीकरण, नवाचार, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सीमाओं पर अडिग, आतंक के विरुद्ध निर्णायक और विश्व मंच पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत आज एक सशक्त, विश्वसनीय नेतृत्व के रूप में स्थापित है। डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा में नयी गति दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने दावा करा, प्रधानमंत्री आवास, जन-धन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और स्वनिधि जैसी योजनाओं ने विकास को जन-जीवन तक पहुंचाकर विश्वास को सशक्त किया है और यही विश्वास सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को साकार कर रहा है। उन्होंने कहा, नेशन फर्स्ट की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ती इस युगांतकारी यात्रा के लिए प्रधानमंत्री जी का कोटि-कोटि अभिनंदन।

इस्लाम में कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं, अरशद मदनी बोले- मुसलमान सरकारी आदेशों को मानें

नई दिल्ली। ईदुल अजहा के अवसर पर भारतीय मुसलमानों के नाम अपने एक संदेश में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि इस्लाम में कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं है। यह एक धार्मिक कर्तव्य है, जिसका पालन करना हर क्षमता रखने वाले मुसलमान पर अनिवार्य है, इस लिए जिस व्यक्ति पर कुर्बानी अनिवार्य है उसे हर हाल में इस कर्तव्य को निभाना है।

कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर न करें

उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक है कि मुसलमान स्वयं सावधानी से काम लें। प्रचार विशेष रूप से सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें आदि शेयर न करें। मौलाना मदनी ने यह भी सुझाव दिया कि मुसलमान कुर्बानी करते समय सरकारी आदेशों का पूर्णतः पालन करें। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचें और चूंकि मजहब में इसके

बदले काले जानवर की कुर्बानी जायज है , इसलिए किसी भी उपद्रव से बचने के लिए इसी को पर्याप्त समझा जाना बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी जगह उपद्रवी काले जानवर की कुर्बानी से भी रोकते है तो समझदार और प्रभावशाली लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन को भरोसे में लेकर कुर्बानी की जाए। अगर फिर भी खुदा न करे इस धार्मिक कर्तव्य को निभाने का कोई रास्ता न निकले तो जिस निकटतम आबादी में कोई परेशानी न हो वहां कुर्बानी करा दी जाए। परन्तु जिस जगह कुर्बानी होती आई है और फिलहाल परेशानी है वहां कम से कम बकरे की कुर्बानी अवश्य की जाए और प्रशासन के कार्यालय में इसको दर्ज भी करा दिया जाए ताकि भविष्य में कोई परेशान न हो।

अरशद मदनी का ईदुल अजहा संदेश

उन्होंने देश के मुसलमानों को ईदुल अजहा के अवसर पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का सुझाव देते हुए कहा कि जानवरों के अवशेषों को सड़कों, गलियों और नालों में न डालें बल्कि अवशेषों को इस तरह दफन कर दिया जाए कि इससे बदबू न फैले। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि हर संभव प्रयास किया जाए कि हमारे काम से किसी को तकलीफ न पहुंचे। सांप्रदायिक तत्वों की ओर से किसी प्रकार के उपद्रव पर संयम और धैर्य से काम लेते हुए मामले की शिकायत स्थानीय थाने में अवश्य दर्ज कराई जानी चाहिए।

सीएम शुभेंदु के बड़े एलान- हर माह 3000 पाने के लिए 27 मई से फॉर्म भरें महिलाएं; 5 में मिलेगी मछली-चावल की थाली

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कल्याणी में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 27 मई से अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म बांटना शुरू कर देगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि भारत का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है। इसके फॉर्म राज्य सचिवालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुधार की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की कि अब स्कूल, कॉलेज और किसी भी धार्मिक स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला शिक्षण संस्थानों और मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। गरीबों के भोजन के लिए भी सरकार ने विशेष योजना बनाई है। राज्य भर में लगभग 400 विशेष कैंटीन खोली जाएंगी। इन कैंटीन में लोगों को हफ्ते में दो दिन मात्र 5 रुपये में मछली और चावल का भरपेट भोजन मिलेगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार एक नया आयुष विभाग भी बनाएगी। अभी तक यह स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा था, लेकिन अब इसे एक अलग विभाग के रूप में पहचान मिलेगी।

बढ़ते ईंधन की कीमतों पर खरगे का वार- पीएम मोदी को गरीब नहीं, विदेश यात्रा प्यारी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच सरकार गरीबों की समस्याओं का समाधान करने में अक्षम है। यह बयान दो सप्ताह से भी कम समय में चौथी बार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आया है, जिसमें सोमवार को पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गईं। खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन की कीमतों पर चिंता जताई। खरगे ने कहा कि इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहते और

देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वे देश के लिए बलिदान देने का दावा करते हैं। अगर महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती रही तो कारखाने बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा? देश के लोग इस सरकार से नाराज हैं। यह सरकार गरीबों की समस्याओं को हल करने में असमर्थ है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती, न ही देश के हित में क्या है, इस पर विचार करती है। यह मामला सिर्फ आज का नहीं है। सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। क्या वे देश चलाना चाहते हैं या पर्यटक बनकर विभिन्न देशों की सैर करना चाहते हैं? इसी दिन इससे पहले, खरगे ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। X पर एक पोस्ट में, उन्होंने प्रशासन पर ईंधन करों और मूल्य वृद्धि से मुनाफा कमाकर आम आदमी पर बोझ डालने का आरोप लगाया। खरगे ने मुद्रास्फीति और ईंधन की कीमतों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रेस सूचना ब्यूरो के एक बयान के आंकड़ों का हवाला देते हुए, खरगे ने बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई, 2014 को पदभार संभाला था, तब कच्चे तेल की कीमत 108.05 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी और रुपये-डॉलर की विनिमय दर 58.59 रुपये थी। उस समय पेट्रोल की कीमत 71.51 रुपये और डीजल की कीमत 56.71 रुपये प्रति लीटर थी। उन्होंने कहा कि आज कच्चे तेल की कीमत 99 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से कम है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः 102.12 रुपये और 95.20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे शब्दों में, कच्चा तेल सस्ता हो गया है, लेकिन पेट्रोल लगभग 42.8 प्रतिशत और डीजल लगभग 67.9 प्रतिशत महंगा हो गया है।